

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन अनुभाग-03

देहरादून: दिनांक: 13 सितम्बर, 2022

विषय:- जनपद देहरादून के ग्राम कुआंवाला में हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग-72 के ROW के भीतर से गेल के प्रस्तावित गैस रिसीविंग टर्मिनल स्टेशन के लिए एप्रोच रोड़ के निर्माण हेतु 0.0132 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-565/FP/UK/APPROACH/47289/2020, दिनांक 26 अगस्त, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश संख्या-256/X-3-22/02(08)/2022 दिनांक 16.03.2022 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून के ग्राम कुआंवाला में हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग-72 के ROW भीतर से गेल के प्रस्तावित गैस रिसीविंग टर्मिनल स्टेशन के लिए एप्रोच रोड़ के निर्माण हेतु 0.0132 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०सी० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता

एजेन्सी द्वारा देय होगा।

5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना/सड़क के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
9. मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
16. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा,

- जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
 18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
 19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
 20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित हैं। 2-तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

**Signed by Vijay Kumar
Yadav**

Date: 13-09-2022 09:53:46

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
सचिव ।

संख्या: 940 (1)/ X-3-22/2(08)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. उप महाप्रबन्धक, (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड, आ0टी0-हरिद्वार, ज्वालापुर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

**Signed by Satya Prakash
Singh**

Date: 13-09-2022 17:30:49

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव ।